

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
निफ्ट दिल्ली परिसर

फ़ाइल सं.: 2300(302)/निफ्ट/डी.सी./ प्रशा./ रा.का. समिति/2020

दिनांक: 26/जुलाई/2022

परिपत्र/CIRCULAR

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) की धारा 3(3) के तहत सभी दस्तावेज़ आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी अथवा हिन्दी में जारी किया जाना चाहिए -:

All officers/employees are informed that under Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 (as amended, 1967), all documents etc. must be compulsorily issued bilingually or in Hindi -:


सामान्य आदेश/ General Orders, संकल्प/ Resolution, परिपत्र/ Circular, नियम/ Rules, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन/ Administrative & other Reports, प्रेस विज्ञप्तियाँ/ Press Release, संविदाएँ/ Contracts, करार/ Agreements, अनुज्ञप्तियाँ/ Licenses, निविदा प्रारूप/ Tender Form, अनुज्ञा-पत्र/ Permits, निविदा सूचनाएँ/ Tender Notices, अधिसूचनाएँ/ Notifications और संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़-पत्र/ and Reports & documents to be laid before the Parliament.

उक्त दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त दस्तावेज़ों को द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है।

The officers signing the above documents should ensure that the above documents are being issued in bilingual form.

भाषा या अनुवाद संबंधी समस्याओं के लिए अधोहस्ताक्षरित से संपर्क किया जा सकता है।

The undersigned may be contacted for language or translation related queries.


रिचा अर्कवाल
(कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी/
Junior Translation Officer)

Copy to:

सभी अधिकारी एवं कर्मचारी/

All Officers and Employees